न्यायालयः अपर जिला न्यायाधीश, गंगापुर जिला–भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **श्रीमती अनिता, आर.जे.एस.**(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

प्रकरण संख्या : 75/2015 ई. दी.

1. देवकिशन आत्मज श्री डालचन्द जी सुथार आयु 55 वर्ष निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा मृतक जरिये कायम मुकाम–

1/1 सुरेश पिता देवकिशन जी सुथार आयु बालिग निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा (प्रतिस्थापित वादी संख्या 3 के स्थान पर जरिये वसीयत)

1/2 गोपाल पिता देवकिशन जी सुथार आयु बालिग निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

2 कंकु पुत्री डालचन्द जी सुथार आयु बालिग निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

3 रामी बैवा डालचन्द सुथार आयु बालिग निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा मृतक जरिये वसीयत ग्रहिता–

3/1 सुरेश पिता देवकिशन जी सुथार आयु बालिग निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

––– वादीगण

<u>ब ना म</u>

1. लेहरी पुत्री मोहन लाल जी सुथार आयु बालिग निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

2 बदामी बाई पुत्री मोहन लाल जी सुथार आयु बालिग निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

3 तुलसी बाई पुत्री मोहन लाल जी सुथार आयु बालिग निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

.... प्रतिवादीगण

वाद बााबत विभाजन जायदाद एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित

1. अधिवक्ता श्री मुकेश चौधरी , वादीगण की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री महेश दाधीच, प्रतिवादीगण की ओर से।

नि र्ण य **दिनांक : 02.07.2026**

1. वादीगण देवकिशन वगैरा की ओर से यह वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण लेहरी वगैरा बाबत विभाजन जायदाद एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 21.11.2012 को श्रीमान जिला न्यायाधीश, भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत किया जो कालान्तर मे सुनवाई हेतु अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा स्वयं और प्रतिवादीगण को संयुक्त हिन्दु परिवार का सदस्य बताया। वादीगण और प्रतिवादीगण मृतक मूल पुरूष डालचन्द के वारिसान है और उभयपक्षकारान का सजरा खानदान वाद पत्र के पैरा संख्या 1 मे वर्णित किया गया है। उभयपक्षकारान के संयुक्त अधिकार और आधिपत्य की सम्पत्तियॉ ग्राम सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा मे अवस्थित होना बताया जो निम्नानुसार है–

(क) मकान वाके ग्राम सहाडा तहसील सहाडा वार्ड संख्या 06 मे

पडौस मकान'

पूर्व – लेहरू, बंशीलाल पिता गोपीलाल जी सुथार का
पश्चिम – आम रास्ता
उत्तर – आम रास्ता
दक्षिण – हगामी एवं अगमी देवी सुथार का

उक्त जायदाद मे ग्राउण्ड फ्लोर पर पक्के पट्टी पोश तीन कमरे, दो पोले, निकास हेतु अलग अलग बनी हुई है तथा ग्राउण्ड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर आने जाने के लिए दो नाले बनी हुई है तथा बीच मे चौक स्थित है तथा फर्स्ट फ्लोर पर तीन कमरे व कमरे के आगे ढालिया बना हुआ है।

(ख) दुसरा मकान वाके ग्राम सहाडा मे वार्ड संख्या 1 पनी की टंकी के पास स्थित है जायदाद के पडौस निम्न है।

पूर्व – वादीगण के स्वामित्व की कृषि आराजियात

पश्चिम – आम रास्ता

उत्तर – सन्तोक दास, मांगीदास का नोहरा

दक्षिण – नानूराम जी सुथार का नोहरा

इस मकान मे चार पक्के कमरे, कमरो के आगे बरामदा, व आने जाने के लिए पोल बनी हुई है तथा पोल के सरवेले मे दो दुकाने बनी हुई है तथा फर्स्ट फ्लोर पर आने जाने के लिए नाल बनी हुई है तथ उपर एक रसोई बनी हुई है। इस मकान की पूर्वी भुजा 51 फीट, पश्चिमी भुजा 48 फीट, उत्तरी भुजा 130 फीट व दक्षिणी भुजा भी 130 फीट है।

3 उक्त वर्णित जायदादो को ही वाद की विषय वस्तु माना है जिनका नजरी नक्शा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। वादग्रस्त जायदाद पक्षकारान की मौरूसी मुश्तरका जायदाद है जो पूर्वजो के समय से चली आ रही है जिनमे वादीगण और प्रतिवादीगण का बराबर हक और हिस्सा है। विवादित जायदादो को पक्षकारान सामलाती रूप से उपयेाग उपभोग कर रहे है किन्तु पक्षकारान के मध्य आपसी विभाजन नही होने के कारण आये दिन पक्षकारान के मध्य विवाद होते रहते है अैर परिशान्ति भंग हो जाती है। इस कारण वादीगण वादग्रस्त जायदाद के पास मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन कराने के अतिरिक्त कोई विकल्प नही है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को कई बार विभाजन के लिए कहा गया परन्तु वे टालमटोल करते रहे और अंतिम बार दिनांक 30.09.2012 को विभाजन कराने से इन्कार कर दिया आदि तथ्य बताते हुए वाद पत्र मे वर्णितानुसार विभाजन और स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष दिये जाने की प्रार्थना की।

4 जवाब दावा मे प्रतिवादीगण ने सजरा खानदान को मनमकसुद तरीके से बताते हुए वादीगण का वाद झूॅठा पेश करना बताया। पैतृक सहदायिक संपत्ति मे स्त्रीयों का कोई भी हक दिनांक 09.09.2005 से पूर्व नही था। उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता और प्रतिवादी संख्या 3 के पति स्व. मोहनलाल जी के जीवन काल मे ही 30–31 वर्ष पूर्व विभाजन हो चुका है। विभाजन

से पूर्व उक्त सम्पत्तियॉ खाली भूखण्ड थे जिन पर प्रतिवादीगण ने विभाजन होने के बाद अपने हिस्से मे आये भूखण्ड पर काफी लागत लगा कर मकान का निर्माण करवा रखा हैं। मौके पर पैरा (क) वाली संपत्ति का दक्षिणी हिस्सा प्रतिवादीगण को विभाजन मे प्राप्त हुआ जिस पर डबल मकान बना हुआ है और प्रतिवादीगण ही कााबिज चले आ रहे है। उत्तरी भाग वादी संख्या 1 को विभाजन मे प्राप्त हुआ तथा पैरा (क) मे वर्णित सम्पत्ति के आवासीय मकान के मध्य दीवार बनी हुई होकर मौके पर विभाजन किया हुआ है। उक्त संपत्ति वार्ड संख्या 1 मे स्थित है, जबकि वादीगण ने इसे वार्ड संख्या 6 मे होना बताया है जो गलत है। इसी प्रकार पैरा (ख) मे वर्णित सम्पत्ति का दक्षिणी हिस्सा प्रतिवादीगण को विभाजन मे प्राप्त हुआ है, मौके पर इस सम्पत्ति के मध्य मे भी दीवार वर्षो से बनी हुई है और यह सम्पत्ति भी वार्ड संख्या 1 मे स्थित है। वादीगण ने वार्ड संख्या 6 मे होना गलत अंकित किया है। उक्त सम्पत्तियों का विभाजन मोहनलाल के जीवनकाल मे देवकिशन और मोहन लाल के मध्य हो चुका था जिसकी याददाश्त भी दिनांक 07.09.1986 व दिनांक 11.10.1999 को लिखी गई जिसकी जानकारी वादीगण को है जिससे वादीगण पाबन्द है। मोहन लाल का निधन 12 वर्ष पूर्व हो चुका है और मोहनलाल के उत्तराधिकारीगण उनके हिस्से पर काबिज चले आ रहे है। वादीगण ने गलत नक्शा बना कर दीवारे नही बता कर पेश किया है। निवार्चन नामावली 293 मे देवकिशन का मकान नम्बर 599, तुलसीराम का मकान नम्बर 567, मतदाता सूची 2004 देवकिशन का मकान नम्बर 205 व तुलसीराम का मकान नम्बर 204, पंचायत मतदाता सूची 2009 मे भी वर्णित मकान 46 है। विधानसभा नामावली 2009 मे तुलसी का मकान नम्बर 204, व देवकिशन का मकान नम्बर 205, अभी जो मतगणना वर्ष 2011 की हुई उसमे देवकिशन का मकान नम्बर 76 और तुलसी का मकान नम्बर 77 है। परिशिष्ठ (क) मे वर्णित हिस्सा विभाजन मे प्राप्त होने और प्रतिवादीगण के कब्जे मे होने का ग्राम पंचायत सहाडा ने प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष मे पट्टा जारी किया जिसकी निगरानी अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा के समक्ष वादीगण ने की जिसके प्रकरण संख्या 116/2011 है जिसमे निगरानी खारिज कर दी गई जिसके विरूद्व वादीगण ने रिट याचिका उच्च न्यायालय मे प्रस्तुत की जिसके प्रकरण संख्या 10201/2011 है। उक्त रिट याचिका को विड्रोल करके वादीगण ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर, साहब के समक्ष रिव्यु याचिका प्रस्तुत की जिसमे भी उत्तरदाता का सेपरेट आधिपत्य व

विभाजन माना गया। पंचायत समिति सहाडा को रिमाण्ड किया और पट्टे को सही माना गया। मामला पंचायत समिति मे विचाराधीन है जिसके फलस्वरूप वादीगण का वाद पोषणीय नही है। उभयपक्षो के मध्य 30–31 वर्ष पूर्व ही विभाजन हो जाने से पक्षकारान ने नल, लाईट के कनेक्शन भी अलग अलग ले रखे है और तत्समय हिन्दु विधि मे महिलाओ को कोई अधिकार नही मिलता था इसलिये वादी संख्या 2 व 3 का उक्त सम्पत्ति मे काई अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 3 के कोई पुरूष संतान नही होने से प्रतिवादीगण का जो हिस्सा विभाजन मे प्राप्त हुआ उन पर डबल मकान बने हुए होने से वादी संख्या 1 उसे अनाधिकृत रूप से हडपना चाहता है इसलिये यह झूॅठा दावा पेश किया है। चूॅकि पक्षकारान के मध्य पूर्व मे विभाजन हो चुका है अतः वादीगण पुनः उसी सम्पत्ति का मीटस एण्ड बाउण्ड के आधार पर विभाजन नही करवा सकते है। वादीगण स्वच्छ हाथो से न्यायालय मे नही आये है। उन्होने मोहनलाल जी के जीवन काल मे कभी बंटवारे के विरूद्व कोई उज्र नही किया। पूर्वजो के बंटवारो से पाबन्द होकर वादीगण साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के अनुसार स्टोप्ड है। 31 वर्षो बाद झूठा दावा पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। वादी संख्या 3 रामी का उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति मे कोई हक हिस्सा नही बनता है। मृतक रामी को सुरेश चन्द्र के पक्ष मे तथाकथित वसीयत दिनांक 06.10.2010 को लिपिबद्व करने का कोई अधिकार नही है। वसीयत प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मुकाबले प्रारम्भ से ही अवैध होकर शुन्य है। तथाकथित वसीयत मे वर्णित सम्पत्तियों के पडौस विवादित सम्पत्ति के पडैसो से मेल नही खाते है। वादी संख्या 1/1 सुरेश चन्द ने किसी भी न्यायाालय से तथाकथित वसीयत दिनांक 06.10.2010 के आधार पर किसी प्रोबेट/प्रशासन पत्र जारी नही करवाया है जिसके आधार पर वादी मृतक रामी की वसीयत के जरिये कोई अधिकार प्राप्त नही करते है। अतः वादीगण का वाद खारिज कियेजाने की प्रार्थना की।

5 उक्त वाद पत्र एवं जवाब दावे के आधार पर प्रकरण में निम्न विवाद्यक कायम किए गए हैः–

1 आया वाद पत्र के मद संख्या 2 मे वर्णिम सम्पत्ति (क) व (ख) पक्षकारान की मौरूसी मुश्तरका जायदाद है जिसका पक्षकारान के मध्य विभाजन नही हुआ है? – वादीगण

2 आया वादीगण वादग्रस्त जायदाद का (Meet & bounds) से विभाजन करने के अधिकारी है? —वादीगण

3 आया वादग्रस्त संपत्तियॉ सहदायिकी (कोपासनर) आवासीय संपत्तिया थी जिनका स्व0 मोहनलाल जी के जीवनकाल मे वादी संख्या 1 के साथ 30—31 वर्ष पूर्व विभाजन हो चुका है? — प्रतिवादीगण

4 आया वादग्रस्त संपत्तियों मे वादी संख्याा 2 व 3 का कोई हक नही है ? —प्रतिवादीगण

5 आया प्रतिवादीगण के पक्ष में ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया व सेपरेट पजेशन व विभाजन को माना है, जिससे प्रकरण अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा पंचायत समिति, सहाड़ा में प्रकरण रिमाण्ड किया, जिसमें कार्यवाही विचाराधीन है, जिससे यह पश्चात्वर्ती वाद पोषणीय नहीं हैं ? — प्रतिवादीगण

6. आया वादी सं. 3 अत्यंत वृद्ध स्त्री है, जो सुनने समझने की स्थिति में नहीं है लेकिन वादी सं. 1 ने मिलीभगत कर उनका झूठा अंगूठा लगाकर दुर्भावना से झूठां वाद पेश कराया हैं ?. — प्रतिवादीगण

7. आया वादीगण ने बंटवारे के विरूद्ध कभी एतराज/उज्र नहीं किया, अतः वह पूर्व के बंटवारे से पाबंद है ? — प्रतिवादीगण

8. अनुतोष ?

6. उक्त विवा़द्यको के सबंध में वादी पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी0ड0—1 देवकिशन पी0ड 02 सुरेश, पी0ड0—3 गोपाल, पी0ड0—4 शान्तिलाल, को परीक्षित करवाया तथा दस्तवेजी साक्ष्य मे निम्न दस्तावेजात पेश किये—

प्रदर्श संख्या	प्रदर्श विवरण
प्रदर्श—1	नजरी नक्शा
प्रदर्श— 2	नजरी नक्शा

प्रदर्श– 3	रिव्यु प्रार्थना पत्र संख्या 43/12 का जवाब
प्रदर्श– 4	रिव्यु प्रार्थना पत्र संख्या 43/12 का निर्णय
प्रदर्श– 5	ग्राम पंचायत सहाडा का लेटर पेड
प्रदर्श– 6	जमाबन्दी सं. 1148

7 प्रतिवादी पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य मे गवाह डी ड 1 बादाम, डी ड 2 हीरालाल डी ड 3 मोहनलाल एवं डी ड 4 लादु लाल सुथार को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे निम्न दस्तावेजात पेश किये–

प्रदर्श संख्या	प्रदर्श विवरण
प्रदर्श–ए1	ईकरार नामा
प्रदर्श–ए 2	नजरी नक्शा
प्रदर्श– ए3	निर्णय निगरानी प्र.सं. 116/2011
प्रदर्श–ए4 से ए6	निर्वाचन नामावली 2009
प्रदर्श–ए 7	बिजली का बिल
प्रदर्श–ए 8 से ए10	नल का बिल
प्रदर्श– ए11 से ए13	बिजली का बिल
प्रदर्श– ए14 व ए15	राशन कार्ड
प्रदर्श– ए16	माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 10.04.2012
प्रदर्श– ए17 से ए19	डिजीटल फोटोग्राफस
प्रदर्श– ए20 व ए21	असल नजरी नक्शा

8. उभयपक्षो की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये–

1 Prasanta Kumar Sahoo v/s Charulata Sahu Civil Appeal No 2912-2915 of 2018 on 29 March 2023

प्रतिवादीगण की ओर निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

1 H. VASANTHI v/s A. SANTHA (DEAD) THROUGH LRS. AND

OTHERS 2023 LiveLaw (SC) 655

2 K. Arumuga Velaiah v/s P.R. Ramasamay 2022 CT(SC) 131

3 KALE & OTHERS Vs. DEPUTY DIRECTOR OF CONSOLIDATION ORS 1976 AIR 807

9. उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया गया है। साथ ही प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी ससम्मान अवलोकन कर यथा संभव मार्गदर्शन प्राप्त किया गया है। प्रकरण के निस्तारण हेतु साक्ष्य का मेरा विवेचन विवाद्यक वार निम्नानुसार है:—

विवाद्यक संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7

10 विवाद्यक संख्या 3, 4, 6 व 7 विवाद्यक संख्या 1 व 2 के खण्डन विवाद्यक होने के कारण और एक दूसरे से सबंधित होने के कारण सुविधा की दृष्टि से और अनावश्यक दौहराव न हो, के उद्वेश्य को ध्यान मे रखते हुए उक्त सभी विवाद्यक एक साथ निस्तारित किये जा रहे है। विवाद्यक संख्या 1 व 2 को साबित करने का भार वादीगण पर तथा विवाद्यक संख्या 3, 4, 6 और 7 को साबित करने का भार प्रतिवादी पक्ष पर था। विवाद्यक संख्या 3, 4 विवाद्यक संख्या 1 व 2 के खण्डन विवाद्यक है तथा विवाद्यक संख्या 6 व 7 सिर्फ जवाब दावे मे वर्णित तथ्यो से संबधित होने के कारण तथ्यात्मक और खण्डन विवाद्यक है जिन्हे साबित करने का भार भी प्रतिवादी पक्ष पर था। वादी पक्ष द्वारा प्रतिवादी पक्ष के विरूद्व विचाराधीन वाद पत्र बाबत विभाजन जायदाद और स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है। वाद पत्र के पैरा संख्या 1 मे वादी पक्ष ने अपना सजरा खानदान बताते हुए उभयपक्षो को एक ही खानदान से संबंधित होना बताया। सजरा खानदान मे मूल पुरूष डालचन्द होना बताया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता व प्रतिवादी संख्या 3 के पति मोहन लाल सुथार डालचन्द के सबसे बडे पुत्र बताये गये है। उसके पश्चात डालचन्द की दो बेटिया और एक बेटा क्रमश कंकु, रामीदेवी और देवकिशन बताये गये है। देवकिशन, कंकू और रामी द्वारा सम्मिलित रूप से यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। वाद पत्र के पैरा संख्या 2 ग्राम सहाडा तहसील सहाडा, भीलवाडा के बिन्दु संख्या क और ख मे दो सम्पत्तियों का उल्लेख किया है। दोनो सम्पत्तियों को पृथक पृथक अवस्थित होना बताते हुए वादीगण ने बिन्दु संख्या "क"

मे वर्णित सम्पत्ति वार्ड संख्या 6, सहाडा मे अवस्थित होना बताया तथा बिन्दु संख्या "ख" मे वर्णित सम्पत्ति वार्ड नम्बर 1 पानी की टंकी के पास, सहाडा मे अवस्थित होने का उल्लेख किया। उक्त दोनो ही सम्पत्तियो मे बने हुए निर्माण कार्यो का भी विस्तृत उल्लेख उक्त पैरा मे किया गया है। पैरा संख्या "क" और "ख" मे वर्णित दोनो सम्पत्तियों के विभाजन बाबत ही विचाराधीन वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। वादीगण ने उक्त दोनो सम्पत्तियों को अपने पिता डालचन्द की पैतृक सम्पत्ति होना बताते हुए उक्त सम्पत्तियों मे डालचन्द की चारो संतानो का बराबर हक अधिकार होने के फल स्वरूप विभाजन और स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष बाबत प्रार्थना करते हुए वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा संशोधित जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए उक्त सम्पत्तियों को पैतृक, मौरूसी, अविभजित सम्पत्तियां होने के तथ्यो से इन्कार किया है और उक्त दोनो सम्पत्तियों का 30–31 वर्ष पूर्व स्व. मोहनलाल जी के जीवन काल मे ही विभाजन हो जाने के तथ्य बताये। विभाजन के समय उक्त दोनो सम्पत्तियॉ खाली भूखण्ड थी उसके पश्चात प्रतिवादी पक्ष द्वारा विभाजन के बाद अपने हिस्से मे आये भाग मे निर्माण कार्य करवा कर मकान बनवाया। मुताबिक प्रतिवादीगण वाद पत्र के पैरा संख्या 1 मे वर्णित सम्पत्ति को वार्ड नम्बर 6 के स्थान पर वार्ड संख्या 1 मे अवस्थित होना बताया जिसके दक्षिणी आधे भाग पर प्रतिवादी पक्ष को विभाजन स्वरूप स्वामित्व और कब्जा प्राप्त हुआ। इसी प्रकार पैरा संख्या "ख" मे वर्णित सम्पत्ति को वार्ड नम्बर 1 मे अवस्थित होना बताते हुए इस सम्पत्ति का भी आधा दक्षिणी भाग प्रतिवादी के हिस्से मे आना बताया। मोहन लाल जी की मृत्यु लगभग 12 वर्ष पूर्व होने का कथन किया और मोहनलाल तथा देवकिशन जो कि वादीगण सजरा खानदान के मूल पुरूष डालचन्द के पुत्र है। इस संबंध मे देवकिशन और मोहन लाल के बीच हुए विभाजन के संबंध मे दो लिखते दिनांक 07.09.1986 और दिनांक 11.10.1999 को होना अभिकथित किया है। विभाजन की दोनो लिखते भी प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई है। विभाजन के तथ्यो के समर्थन मे प्रतिवादी पक्ष ने निवार्चन नामावली 293, मतदाता सूची 2004, पंचायत मतदाता सूची 2009, विधानसभा नामावली 2009, मतगणना 2011 की सूची मे दोनो ही पक्षकारान के मकान नम्बर का अलग अलग उल्लेख होना बताते हुए दोनो पक्षकारान के मध्य विभाजन के तथ्यो की ताईद के समर्थन मे उक्त दस्तावेजात प्रस्तुत करते हुए विभाजन हो जाने और वादीगण का वाद पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

11 प्रतिवादीगण ने वाद पत्र के पैरा संख्या क मे वर्णित सम्पत्ति के संबंध मे प्रतिवादी संख्या 3 तुलसी के नाम पट्टा जारी होने के भी तथ्य बताये जिसके विरूद्व देवकिशन द्वारा कार्यवाही की गई ततपश्चात वादी पक्ष द्वारा पट्टे की निगरानी प्रस्तुत की गई जो खारिज हो गई। उसके पश्चात वादी पक्ष द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका प्रस्तुत की जो वादी पक्ष द्वारा ही पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के निवेदन पर विड्रो किये जाने के आधार पर रिट याचिका को खारिज किये जाने का आदेश दिया गया। तत्पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भीलवाडा के समक्ष पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर एडीएम, भीलवाडा द्वारा पत्रावली को पुनः संबंधित पंचायत को प्रतिप्रेषित कर पट्टे के सबंध मे पुनः निर्णय किये जाने का आदेश दिया गया। उसके पश्चात पंचायत द्वारा तुलसी के पट्टे के सबंध मे क्या कार्यवाही की गई इसके संबंध मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नही की गई है।

12 वादी पक्ष द्वारा जिन दो सम्पत्तियो को अपने मूल पुरूष डालचन्द के स्वामित्व और आधिपत्य की होना बताया है उसके स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत नही किया गया है सिर्फ सम्पत्तियो के अस्तित्व के सबंध मे दो नजरी नक्शे प्रस्तुत किये गये है जो प्रदर्श 1 और 2 है। पट्टे के संबंध मे ग्राम पंचायत, सहाडा का पत्राचार प्रदर्श 2 प्रस्तुत किया है और एडीएम, कलेक्टर द्वारा दिनांक 30.08.2013 को वादीगण का पुर्नविलोकन प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए निगरानी प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 14.09.2011 को अपास्त करते हुए तथाकथित पट्टा संख्या 1651 जारी दिनांक 24.11.2009 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ ग्राम पंचायत, सहाडा, पंचायत समिति, सहाडा, जिला भीलवाडा को इन निर्देशो के साथ रिमाण्ड किया गया है कि विवादित स्थान पर स्थित मकान, संरचनाओ के बारे मे पट्टा जारी करने हेतु विधि के परिप्रेक्ष्य मे पत्रावली का संधारण कर दोनो पक्षो को समुचित अवसर देकर नये सिरे से पट्टा जारी करने के सबंध मे आदेश पारित करें। इसके पश्चात ग्राम पंचायत सहाडा द्वारा कोई आदेश विवादित सम्पत्तियों के पट्टे के संबंध मे जारी किया गया हो इसके संबधं मे दोनो ही पक्षो की ओर से कोई मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नही हुई है। वादी पक्ष ने उभयपक्षो की कृषि आराजियात मे विभाजन के संबंध मे प्रदर्श 6 जमाबन्दी की नकल को प्रदर्शित करवाया है। जिन सम्पत्तियो को वादीगण द्वारा

डालचन्द की सम्पत्तियां होना बताते हुए उभयपक्षकारान की मौरूसी मुश्तरका जायदाद होना अभिकथित किया है परन्तु ऐसे अभिवचनो के समर्थन मे वादी पक्ष की ओर से डालचन्द के स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नही है। डालचन्द या उनके पूर्वजो द्वारा विवादित सम्पत्तियो पर कब्जा कर निर्माण करने के पश्चात वादी पक्ष के पास यह युक्तियुक्त विकल्प था कि यदि डालचन्द मूल पुरूष द्वारा विवादित सम्पत्तियो के स्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की गई थी तो वादी देवकिशन व उसका भाई मोहन जी और बहने रानी और कंकु उन सम्पत्तियो के संबंध मे स्वामित्व बाबत दस्तावेज जैसे बापी पट्टा आदि प्राप्त करने की कार्यवाही करते। इसके अतिरिक्त लम्बे आधिपत्य के आधार पर डालचन्द द्वारा सम्पत्तियो के स्वामित्व की घोषणा के सबंध मे विधिक कार्यवाही की जा सकती थी परन्तु इस प्रकार की कोई कार्यवाही उभयपक्षकारान के पूर्वजो द्वारा की गई हो, इसके संबंध मे दोनो ही पक्षकारान की ओर से किसी प्रकार की कोई ठोस साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नही हुई है। वाद पत्र के पैरा संख्या "क" मे वर्णित सम्पत्ति का ही तुलसी के नाम पट्टा जारी होने के तथ्य पत्रावली पर मौजूद है परन्तु वर्तमान मे पट्टे की विधिक स्थिति यह है कि उक्त पट्टे को अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भीलवाडा द्वारा आदेश दिनांक 30.08.2013 के मार्फत निरस्त किये जाने का आदेश दिया जा चुका है और पट्टे के सबंध मे ग्राम पंचायत सहाडा पंचायत समिति सहाडा को नवीन स्तर पर पट्टा जारी करने के विशिष्ठ निर्देश प्रदत्त किये गये है। ग्राम पंचायत मे पट्टे की कार्यवाही फिलहाल विचाराधीन होना जाहिर आता है जहॉ उक्त प्रतिप्रेषण निर्णय/आदेश के उपरान्त ग्राम पंचायत सहाडा या पंचायत समिति सहाडा द्वारा तुलसी के पट्टे के संबंध मे कोई कार्यवाही की गई हो ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नही है। इस प्रकार वादीगण के अभिवचनो के मुताबिक उक्त सम्पत्ति को किस आधार पर उसकी मौरूसी मुश्तरका जायदाद माना जावे यह पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य से साबित नही होता है। वादीगण ने विवादित सम्पत्तियों के स्वामित्व की घोषणा बाबत भी अनुतोष की प्रार्थना नही की है बल्कि सिर्फ विभाजन और स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष की प्रार्थना की है।

वादीगण के अभिवचनो के खण्डन मे प्रतिवादीगण ने उभयपक्षो के मध्य वादी देवकिशन द्वारा प्रतिवादीगण के पति और पिता मोहन लाल के साथ पूर्व मे ही दो ईकरार नामे निष्पादित कर लिये थे उक्त ईकरार नामो मे से एक ईकरार

नामा दिनांक 11.10.1999 को निष्पादित है जिसमे यह अंकित किया गया है कि "मै देवकिशन पिता डालचन्द जी सुथार हाल मुकाम सहाडा थाना गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा यह इकरार करता हूॅ कि सहाडा ग्राम आबादी के अन्दर मेरा व मेरे भाई मोहन लाल का नोहरा स्थित है। इस नोहरे के दो भाग बराबर है, जिसके बीच मे पीछे खेत पर जाने का रास्ता हमारे दोनो मे से साढे पाचं फीट एक भाई को साढे पांच फीट दूसरे भाई के बीच मे से कुल रास्ता 11 फीट का दोनो भाईयो ने मिलकर छोडा गया है उस रास्ते मे से देवकिशन मोहन के खेत मे भाई देवकिशन को आगे का जो रास्ता दिया उसका आधा आधा हिस्सा भाई मोहन लाल से लेना है। इस लिखत मे हम दोनो भाईयो ने मिल कर पांच पंचो मे बैठ कर समझोता किया है उसमे बदलेगें नही। यह खत मैने बिना किसी के दबाव से मण्डा दिया सो साबित रहे। मेरी जमीन का पडौस मांगुदास जी है। भाई मोहन लाल की तरफ भाई नानुरामजी का पडौस है व जमीन हमारे दोनो भाईयो ने मिलकर छोडी है। इसके एक भाई का कोई हक नही रहेगा व बाहर से लगा कर अन्दर तक की जो जमीन हम दोनो भाईयो ने छोडी उसमे दोनो भाई कोई हमारी निजी वस्तु नही रखेगे व यह खत मैने पांच पचों मे लिखवाया दिया सो साबित रहे व पीछे की जमीन का आधा दो भाग रहेगा। देवकिशन का भाग उत्तर की तरफ व मोहन लाल की जमीन दक्षिण की तरफ है।" उक्त लिखत को मोहन लाल सुखवाल द्वारा लिखा जाना बताया गया है जिस पर देवकिशन के हस्ताक्षर है तथा उक्त दस्तावेज की पुश्त पर गोपाललाल, प्रकाश शर्मा, गोवर्धन, रतनलाल जाट, हेमराज, कन्हैयालाल पुरेाहित, रमेश, बंशीलाल सुथार के स्पष्ट हस्ताक्षर है व दो हस्ताक्षर अन्य भी मौजूद है। दूसरी लिखत दिनांक 07.09.1986 की बताई गई है जिसे विभाजन याददाश्त होना अभिकथित किया है। इस लिखत प्रदर्श ए2 के प्रथम पैरा मे यह अंकित किया गया है कि "लिखत देवकिशन पिता डालचन्द सुथार अपने भाई मोहन की ओर बने घर के पास हमारा निवास है उसमे से सामलाती पोल जिसका दरवाजा उत्तर के रास्ते पर है वो पोल मैने मोहन से मोल ली है व पिताजी के कामकाज के खर्चे के रूप मे ली है जिस पर अब मोहन का कोई हक नही है। मौका कब्जा ले लिया है बाकी नीचे की जमीन मे से आधा हिस्सा है जिसमे दो कमरे सामलाती पोल से मिले हुए है ये इनके दरवाजे पश्चिम मे है। एक कमरा पहला जो पोल से मिला हुआ है देवकिशन के है दूसरा कमरा मोहन के रखा है। पहला कमरा जिसकी चौडाई 12 फीट लम्बाई 8 फीट है। दूसरा कमरा मोहन के हिस्से का उसकी लम्बाई

20 फीट चोडाई 7 फीट है। दूसरे कमरे के सामने जिसका दरवाजा पश्चिम मे है जिसकी लम्बाई 8 फीट है यह पोल मैने बनाई है इसमे देवकिशन का कोई हक नही है। नीचे जमीन कुछ ज्यादा होने से दोनो कमरे जो पोल से मिले हुए है उसमे से उपर की चांदनी मे से देवकिशन ने मोहन को साढे आठ फीट उसके कमरे के हिस्से से दी जो मेरे कमरे के हिस्से की तरफ मिलती है। देवकिशन के कमरे जिसकी लम्बाई 12 फीट चौडाई 8 फीट है उसके उपर साढे आठ फीट जमीन पर मोहन का हक है।" प्रदर्श ए2 के दूसरा पैरा मे यह अंकित किया है कि "नोहरा जो गोदाम के पास है उसमे मांगूदास जी की तरफ देवकिशन और नारायण जी सुथार की तरफ मोहन के है जो कुल नोहरे का आधा आधा हिस्सा है। नोहरे के पीछे के खेत मे से भी उत्तर की तरफ का हिस्सा देवकिशन के और दक्षिण की तरफ का हिस्सा मोहन के है। पडौस के सामलाती कुए के खेत मे दक्षिण की ओर का हिस्सा गोपीलाल जी सुथार की तरफ है, वह मोहन के और उत्तर की तरफ का हिस्सा देवकिशन के है। आडे गेले का खेत जो तीन बीघे का है उसमे पूर्व का हिसा देवकिशन के और पश्चिम की ओर मोहन के है। इसी खेत के उपर डेढ बीघे का खेत है उसमे पूर्व की और देवकिशन और पश्चिम की ओर मोहन के है। जनता का कुआ जिसमे भी आधा आधा हिस्सा है जिस पर कुल जमीन तीन बीघा उसमे दो खेत है उपर के खेत मे पूर्व की तरफ मोहन लाल का हिस्सा और पश्चिम की तरफ देव किशन का हिस्सा है। इसी प्रकार नीचे के खेत मे भी आधा आधा हिस्सा पाण्डया का खेत जो घास काटने का बीडा है उसमे उत्तर का हिस्सा देवकिशन के है और दक्षिण की तरफ मोहन का हिस्सा है जो कुल जमीन का आधा आधा है। रामर की कुल जमीन तीन बीघा जिसमे खेत बाई के तथा चरनोट आधा आधा दोनो के है। बाकी और किसी भी तरफ का कोई भी फालतू मगजबाजी नही करेगे जो करेगा सो राज पंचो मे झूॅठा होगा आज दिन पहले जो उपर कागज मे लिखा गया है उसमे लेन देन कुछ भी नही है। आज के बाद जो भी लेंगे देगें वो लेते देते रहेगे।" उक्त प्रदर्श ए2 के अंत मे यह अंकित है कि यह पत्र श्री गणेशराम सुथार, भवानीराम लुहार, शंकरलाल जाट, मांगीलाल लुहार, देवकिशन सुथार, मोहन लाल सुथार के सामने दोनो की राय से लिखा गया है। कागज मोहन के पास रहेगा। उक्त लिखत लिखने वाले तथा मोहन लाल, शंकर व देवकिशन के अतिरिक्त चार हस्ताक्षर/अगूॅठा निशानी उक्त दस्तावेज पर अंकित है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से विभाजन के समर्थन मे ही पंचायत मतदाता सूची प्रदर्श ए4, प्रदर्श ए5 व प्रदर्श ए6 प्रस्तुत की है तथा उभयपक्षो के बिजली के

बिल प्रदर्श ए7 लगायत प्रदर्श ए13 प्रस्तुत किया है। प्रतिवदीगण ने अपने राशन कार्ड प्रदर्श ए14 व ए15 प्रस्तुत किया है तथा विवादित सम्पत्तियो के फोटोग्राफ प्रदर्श ए16 लगायत प्रदर्श ए19 प्रस्तुत किये है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत नजरी नक्शा को गलत बताते हुए हस्तनिर्मित दो नजरी नक्शे प्रदर्श ए20 व प्रदर्श ए21 भी प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये है।

12 इस प्रकार उभयपक्षो द्वारा अपने अपने अभिवचनो के समर्थन मे जो मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है उसमे विवादित सम्पत्तियों को डालचन्द की स्वामित्व की सम्पत्ति होना साबित नही होता है और समस्त पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि पक्षकारान और पक्षकारान के पूर्वज मात्र कब्जे के आधार पर उक्त सम्पत्तियों को अपने स्वामित्व की सम्पत्तियॉ होना बता रहे है। वादीगण की ओर से जो पत्रावली पर साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसमे वादी देव किशन स्वंय गवाह पी ड 1 के रूप मे परीक्षित हुआ है। उक्त गवाह द्वारा वाद पत्र मे वर्णित अभिवचनो के अनुरूप ही अपना साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और उक्त गवाह ने नजरी नक्शा प्रदर्श 1 प्रदर्शित करवाया है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा उक्त गवाह से कुछ जिरह की गई है परन्तु उक्त दिनांक को की गई जिरह के पश्चात उक्त वादी देवकिशन के बयान डेफर किये गये थे और पश्चातवर्ती प्रक्रम पर देवकिशन की मृत्यु होने के फलस्वरूप उक्त गवाह पुनः परीक्षित नही करवाया जा सका। यद्यपि उक्त गवाह से पूर्ण प्रति परीक्षण प्रतिवादी पक्ष द्वारा नही किया गया है परन्तु जितना प्रति परीक्षण किया है वह साक्ष्य मे ग्राह्य है और उक्त प्रति परीक्षण मे वादी देवकिशन ने बताया कि उसके पिता को शान्त हुए 35 साल हो गये है। उसके भाई मोहन लाल को मरे 12 साल हो गये है। प्रतिवादी लेहरी, बादाम और तुलसी कहां निवास कर रही है उसे जानकारी नही है। यह सही है कि नजरी नक्शा प्रदर्श 1 उक्त गवााह ने अपने मन से बना कर पेश किया है। यह सही है कि परिशिष्ठ "क" वाली सम्पत्ति पर मौके पर दो मकान बने है। दोनो ही अलग अलग बने हुए है। यह सही है कि परिशिष्ठ "ख" मे दो मकान बने है जो अलग अलग है। उक्त गवाह ने यह गलत बताया कि परिशिष्ठ "क" के दक्षिण दिशा मे बना मकान प्रतिवादी के कब्जे मे हो। परिशिष्ठ "ख" के दक्षिण दिशा वाला मकान प्रतिवादी के कब्जे मे नही है। इस प्रकार प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जितनी जिरह इस गवाह से की गई है उससे यह स्पष्ट होता है कि वाद पत्र के पैरा संख्या "क" और "ख" मे वर्णित दोनो सम्पत्तियां दो दो मकानो के रूप मे अवस्थित है। यद्यपि उक्त दोनो

सम्पत्तियों के उपर वाला हिस्सा वादी पक्ष का और दक्षिण वाला हिस्सा प्रतिवादी पक्ष का होने से उक्त गवाह द्वारा स्पष्ट इन्कार किया गया है परन्तु दो अलग अलग मकानो के बने होने की स्वीकारोक्ति उक्त गवाह ने अपनी जिरह मे स्पष्ट रूप से की है जो प्रतिवादी के अभिवचनो की ताईद करता है।

13 वादी देवकिशन की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र सुरेश पिता देवकिशन सुथार परीक्षित करवाया गया है जिसने भी वाद पत्र मे वर्णित अभिवचनो के अनुरूप ही साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और विवादित सम्पत्तियों मे अपने पिता का हिस्सा तथा रामी देवी का हिस्सा जो जरिये वसीयत उक्त गवाह को अन्तरित कर दिया था, को भी स्वयं को दिलवाये जाने का अनुतोष उक्त गवाह ने चाहा है। उक्त गवाह ने नजरी नक्शा प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाया है और अपनी जिरह मे विवादित सम्पत्तियों के सबंध मे कोई दस्तावेज पेश न करने की स्वीकारोक्ति प्रदान की है। उसके पिता ने कोई दस्तावेज पेश किया हो तो भी वह उक्त गवाह की जानकारी मे नही है। उक्त गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि डालचन्द की सम्पत्तियां हो और वह सामलाती हो इसका कोई दस्तावेज पेश नही किया है और पत्रावली पर भी मौजूद नही है। गवाह ने नजरी नक्शा के सबंध मे पूछे गये सवालो के जवाब दिये तथा इस तथ्य को स्वीकारा है कि परिशिष्ठ "क" प्रदर्श 1 आवासीय सम्पत्ति पर दो मकान बने हुए है। नजरी नक्शो मे नापचोप अंकित नही है। बस उसके पिताजी के हस्ताक्षर है। प्रदर्श 2 मे वर्णित सम्पत्ति पर भी मौके पर दो मकान बने हुए है जिन्हे गवाह ने स्वयं सामालती होना बताया है तथा विवादित सम्पत्तियों के उत्तर दक्षिण भाग के विभाजन के संबंध मे पूछे गये प्रश्नो को उक्त गवाह ने गलत बताया है। उक्त गवाह के पिता देवकिशन व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पूर्वाधिकारी मोहन लाल कब से अलग अलग कार्य कर रहे है उसे पता नही है। गवाह ने स्वयं बताया कि उसे समझ आने से अलग अलग कार्य कर रहे है। दावे के सबंध मे गवाह ने रामी देवी को न्यायालय मे पेश नही करने के तथ्य को स्वीकार किया है। देवकिशन की मृत्यु वर्ष 2007 मे हो गई थी और उक्त गवाह ने वसीयत के आधार पर भी उत्तराधिकार की प्रार्थना की है परन्तु उसने वसीयत के आधार पर कोई उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेट प्राप्त न करने के तथ्य भी बताये है। कृषि भूमि के विभाजन के सबंध मे पूछे गये सवालो के जवाब उक्त गवाह ने दिये है। प्रदर्श ए1 उक्त गवाह ने अपने पिताजी के नाम होना बताया है पर यह किसने लिया उसकी जानकारी उसे नही है। स्टाम्प पेपर के क्रेता की जगह गोपाल लाल का नाम लिखा

है और उसके हस्ताक्षर है। पर किस गोपाल लाल के हस्ताक्षर है यह उक्त गवाह नही जानता है। गवाह ने गोपाल सुथार को अपना छोटा भाई बताया है। प्रदर्श ए1 विभाजन बाबत लिखा है यह किसने और कब लिखा उसे जानकारी नही है। गवाह ने अपने पिता का नाम देवकिशन बताया। प्रदर्श ए1 उसके पिता देवकिशन द्वारा लिखवाया गया हो यह उसकी जानकारी मे नही है और प्रदर्श ए1 पर ए से बी भाग के मध्य उसके पिता देव किशन के हस्ताक्षर हो तो यह गवाह नही बता सकता। प्रदर्श ए1 मोहन लाल सुखवाल ने लिखा हो तो यह गवाह को जानकारी नही है तथा उक्त दसतावेज पर अन्य व्यक्तियों बंशीलाल, हेमराज, कन्हैयालाल पुरोहित के हस्ताक्षरो के सबंध मे भी अनभिज्ञता व्यक्त करता है तथा प्रदर्श ए1 मे मोहन लाल और देवकिशन के मध्य पैतृक सम्पत्तियों का विभाजन समाज के द्वारा करवा कर अंकन किया को भी उक्त गवाह ने गलत बताया है। इसी प्रकार उक्त गवाह ने प्रदर्श ए2 दिनांक 07.09.1986 मे बताया। आपसी विभाजन की भी जानकारी नही होना बताया है। यदि प्रदर्श ए2 उसके पिता ने लिखा हो तो वह दावा क्यो करते। गवाह ने यह गलत बताया कि विभाजन होने के बाद भी हमने यह झूठां दावा पेश किया हो। तदउपरान्त गवाह ने स्वयं कहा है कि यह झॅूठा दावा मेरे पिताजी ने किया। प्रदर्श ए2 मे स्थित सी से डी भाग गवाह ने जानकारी न होना बताया बल्कि नोहरा सामलाती है। उक्त गवाह ने प्रदर्श ए2 मे ई से एफ भाग के मध्य उसके पिता देवकिशन के हस्ताक्षर उसकी पहचान मे नही होने के तथ्य बताये तथा उक्त लिखत पर भी लिखने वाले और गवाहो के हस्ताक्षरो के सबंध मे पूछे गये सवालो के जवाब मे उक्त गवाह ने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए जवाब दिये और उक्त दोनो ही दस्तावेजात की जानकारी न होने का कथन किया और जानकारी होने के उपरान्त भी उक्त दोनो दस्तावेजात के विरूद्व किसी प्रकार की कोई कार्यवाही उक्त गवाह द्वारा नही किया जाना बताया। उक्त गवाह से नामावली, पंचायत नामावली के सबंध मे भी विशिष्ठ सवाल पूछे गये जिसके जवाब उक्त गवाह ने ग्राम पंचायत द्वारा अलग अलग मकान नम्बर आवंटित न किये जाने के तथ्य बताये। बिजली के बिल के संबंध मे भी उक्त गवाह ने इसी प्रकार के जवाब दिये है और मौके पर प्रदर्श ए1 व प्रदर्श ए2 लिखतो से संबंधित विभाजन के सबंध मे पूछे गये सवालो के जवाब मे गवाह ने वर्तमान मे सामलाती दो मकान होना बताये है। इसी प्रकार सरकारी सुविधाओ के उपयोग हेतु दोनो पक्षकारो के अलग अलग राशनकार्ड बनाने के तथ्य उक्त गवाह ने स्वीकार किया है। विभाजन के प्रत्येक सवाल के जवाब मे उक्त

गवाह ने दोनो सम्पत्तियो को समलाती होने का कथन किया है। पट्टे के संबंध मे की गई कार्यवाहीयों और उच्च न्यायालय मे की गई कार्यवाहीयों के संबंध मे भी उक्त गवाह से प्रति परीक्षण किया गया है। चूँकि तुलसी के नाम जारी पट्टे के सबंध मे जो कार्यवाहीयां हुई वह दस्तावेजी साक्ष्य से सबंधित है। अतः उक्त गवाह द्वारा इन दस्तावेजो के सबंध मे जो जवाब दिये गये है वह अत्यधिक सुसंगत नही है।

14 उक्त गवाह के अतिरिक्त देवकिशन के अन्य पुत्र गोपाल गवाह पी ड 3 के रूप मे परीक्षित हुआ है जिसने अपने बयानो मे दोनो लिखतो के सबंध मे पूछे गये सवालो के जवाब में अपने पिता के हस्ताक्षर है या नही यह उक्त गवाह नही बता सकता है, का कथन किया है। फोटोग्राफ भी उक्त गवाह ने अपने मकानो के होना बताये और प्रदर्श ए1 पर स्वयं के हस्ताक्षर न होने के तथ्य उक्त गवाह ने बताये है तथा अन्य पूछे गये सवालो के जवाब उक्त गवाह ने दिये।

15 वादी पक्ष द्वारा अपने समर्थन मे एक अन्य गवाह पी ड 4 शान्ति लाल को परीक्षित करवाया है जिसने वादी पक्ष के समर्थन शपथ पत्र प्रस्तुत किया है परन्तु अपनी जिरह मे वादी प्रतिवादी के घर का स्वयं को प्रजापत नही होना बताया। उक्त मकानो की लम्बाई चौडाई उक्त गवाह नही बता सकता। मकानो मे यह दोनो भाई रहते है। इन मकानो मे सुरेश, गोपाल, लहरी व उसकी दो बेटियां रहती है। दक्षिण दिशा मे मोहन का परिवार निवास कर रहा है। उत्तर दिशा मे देवकिशन के वारिस निवास कर रहे है। इनके मध्य 10—15 फीट का रास्ता छोड रखा है। यह स्थिति वार्ड नम्बर 1 के मकान की है। बीच का रास्ता दोनो भाई का सामलाती छुटा है। वार्ड संख्या 6 के मकान की लम्बाई चौडाई उक्त गवाह नही बता सकता और दोनो पक्षो के मध्य विभाजन की लिखापढी न होने के तथ्य बताये। दिनांक 07.09.1986 को दोनो भाईयो के मध्य विभाजन की लिखापढी होने के तथ्य को उक्त गवाह ने स्वीकार किया है जो सामलाती मकान की हुई थी। उक्त गवाह से भी तुलसी के पट्टे व बिल और फोटो के संबंध मे सवालात पूछे गये जिसके जवाब उक्त गवाह ने दिये है।

16 उक्त साक्ष्य के खण्डन मे प्रतिवादी बादाम स्वयं गवाह डी ड 1 के रूप मे परीक्षित हुई है जिसने अपने अभिवचनो के अनुरूप ही साक्ष्य शपथ पत्र

प्रस्तुत करते हुए सशपथ कथन किये है और दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये। अधिवक्ता वादी द्वारा पूछे गये सवालो के जवाब उक्त गवाह ने विस्तृत रूप से दिये है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपने समर्थन मे गवाह डी ड 2 हीरालाल को परीक्षित करवाया है जिसने उभयपक्षो के विभाजन की ताईद करते हुए शपथ पत्र दिया है तथा जिरह मे भी विभाजन के तथ्यो का कोई खण्डन उक्त गवाह द्वारा नही किया गया है। इसी प्रकार गवाह डी ड 3 मोहन लाल जिसके द्वारा स्टाम्प लिखा गया था, परीक्षित करवाया गया है जिसने प्रदर्श ए1 निष्पादित करने के संबंध मे विशिष्ठ कथन अपने बयानो मे किये है। इसी प्रकार गवाह डी ड 4 लादुलाल भी उभयपक्षो के मध्य विभाजन के तथ्यो की ताईद करते हुए बयान दिये है।

17 इस प्रकार उभयपक्षो की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र अवलोकन के पश्चात विवादित सम्पत्तियों के स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है जो कि वादीगण के पूर्वजो की भी नही है। वादीगण के नाम विवादित सम्पत्तियों के स्वामित्व की घोषणा हुई हो, इस संबंध मे भी पत्रावली पर कोई सकारात्मक साक्ष्य मौजूद नही है। मौके पर कब्जे के आधार पर निर्माण करवाने और मौके पर दोनो ही विवादित सम्पत्तियों पर दो दो मकान निर्मित होने के तथ्यो की पुष्टि स्वयं वादी पक्ष के गवाहो द्वारा अपने बयानो की गई है। वादी देवकिशन स्वयं अपनी जिरह मे परिशिष्ठ "क" और "ख" वाली सम्पत्तियों मे दो अलग अलग मकान बने होने की ताईद करता है। अन्य वादी गवाहान सुरेश और गोपाल भी उक्त दोनो सम्पत्तियों पर अलग अलग मकान होने के तथ्य को तो स्वीकार करते है परन्तु साथ मे यह भी अभिकथन करते है कि दोनो सामलाती सम्पत्तियां है जिसके फल स्वरूप इस तथ्य की तो पुष्टि होती है कि विवादित सम्पत्तियों पर दो दो मकान बने हुए है जिसे वादी सामलाती कह रहा है। प्रतिवादी गवाहान द्वारा उभयपक्षो के मध्य विवादित सम्पत्तियों के विभाजन के सबंध मे दो दस्तावेजात प्रदर्श ए1 और ए2 के निष्पादन का कथन किया है। प्रतिवादी गवाहान ने प्रतिवादीया बादाम देवी तथा अन्य गवाहो द्वारा उक्त दोनो ही दस्तावेजात मे अंकित तथ्यो और उक्त दस्तावेजात के निष्पादन के सबंध मे सकारात्मक तथ्य बताते हुए दस्तावेजात की ताईद की है। उक्त दोनो ही दस्तावेजात के सबंध मे वादी देवकिशन से किसी प्रकार की कोई जिरह नही हो पाई है परन्तु वादी देवकिशन के दोनो पुत्रो सुरेश और गोपाल से उक्त दस्तावेजात के सबंध मे जो जिरह की गई है उसमे उक्त दोनो गवाहान ने

दस्तावेजात पर अपने पिता देवकिशन के हस्ताक्षर न होने या दस्तावेजात पर देवकिशन के फर्जी हस्ताक्षर होने के संबंध मे कोई स्पष्ट जवाब नही दिया है बल्कि अपने पिता के हस्ताक्षरो के सबंध मे यह कथन किया कि प्रदर्श ए1 पर ए से बी के मध्य उसके पिता देवकिशन के हस्ताक्षर हो यह गवाह सुरेश नही बता सकता। इसी प्रकार देवकिशन के दूसरे पुत्र गोपाल ने भी अपने पिता के हस्ताक्षरो के सबंध मे यह कथन किया कि प्रदर्श ए1 दस्तावेज पर देवकिशन का नाम का अंकन किया हुआ है लेकिन यह हस्ताक्षर मेरे पिता के है या नही यह मै नही बता सकता। प्रदर्श ए2 पर भी देवकिशन के हस्ताक्षर गवाह सुरेश ने अपनी पहचान मे नही होना बताया है। इस प्रकार देवकिशन के दोनो पुत्रो ने अपने पिता के हस्ताक्षर नही होने का कोई स्पष्ट जवाब अपने बयानो मे नही दिया है जबकि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के अनुरूप उक्त परिस्थितियो का अवलोकन किया जावे तो यदि दस्तावेज वादीगण के पिता देवकिशन द्वारा निष्पादित नही किये गये है तो देवकिशन के पुत्रों के यह स्पष्ट जवाब होने चाहिए कि उक्त दस्तावेजात पर देवकिशन के हस्ताक्षर नही है या देवकिशन के फर्जी हस्ताक्षर किये गये है परन्तु देवकिशन के दोनो पुत्रों सुरेश और गोपाल ने अपने बयानो मे देवकिशन के हस्ताक्षर है या नही यह बताने मे असमर्थता व्यक्त की है जो प्रदर्श ए1 व प्रदर्श ए2 के निष्पादित होने के तथ्यो को पुख्ता करती है। यद्यपि उक्त दोनो दस्तावेजात भी विवादित सम्पत्तियों के स्वामित्व के दस्तावेजात नही है। अतः उक्त दस्तावेजात के आधार पर भी विवादित सम्पत्तियों के स्वामित्व की कोई घोषणा इस आदेश द्वारा नही की जा सकती और उक्त दोनो दस्तावेजात के सम्पार्शिवक उद्वेश्य हेतु ही ग्राह्य मानते हुए उक्त दस्तावेजात का विवेचन किया गया है। यद्यपि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कई न्यायिक दृष्टान्तो मे यह दिशा निर्देश दिये गये है जिसमे उभयपक्षो के मध्य पारिवारिक विभाजन की लिखापढी पंजीकृत होना आवश्यक नही है। वर्ष 2005 के संशोधन से पूर्व हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मौखिक विभाजन को मान्यता प्रदत्त की गई थी और मौखिक विभाजन होने के फलस्वरूप यदि पश्चातवर्ती प्रक्रम पर किसी विभाजन की याददाश्त का निष्पादन किया जाता है तो उसका भी पंजीकरण आवश्यक न होने के निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तो मे दिये गये है। अधिवक्ता प्रतिवादी पक्ष की ओर से इस संबंध मे जो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये है वह भी उपरोक्त परिस्थितियों का समर्थन करते है।

18 चॅूकि विवादित सम्पत्तियों को वादीगण के मूल पुरूष डालचन्द के स्वामित्व के दस्तावेज वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत नही हुआ है और कब्जे के आधार पर स्वामित्व की घोषणा के संबंध मे भी कोई अनुतोष वादीगण द्वारा नही चाहा गया है। ऐसी दशा मे विवादित सम्पत्तियों को पक्षकारान की मौरूसी, अविभाजित, मुश्तरका सम्पत्ति घोषित नही किया जा सकता और अविभाजित पुश्तैनी सम्पत्ति न होने के फलस्वरूप वादीगण उक्त जायदादो का विभाजन कराने के अधिकारी भी नही है। उक्त तथ्यो के खण्डन मे उभयपक्षो के मध्य सम्पत्तियों के विभाजन के बिन्दु प्रतिवादी पक्ष द्वारा मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य से अपने पक्ष मे साबित करवाये गये है जिसकी पुष्टि साक्ष्य वादी मे परीक्षित गवाहान द्वारा भी की गई है। अतः उभयपक्षो की ओर से प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर तथा साक्ष्य की अधिसम्भाव्यता के सिद्वान्त को ध्यान मे रखते हुए यह तथ्य प्रतिवादी पक्ष मे ही साबित माना जायेगा कि उभयपक्षो के मध्य आवासीय सम्पत्तियों का विभाजन हो चुका था।

18 चॅूकि उक्त विभाजन दिनांक 07.09.1986 और दिनांक 11.10.1999 को किया गया था और ततसमय सहदायिकी सम्पत्तियों मे पुत्री, पौत्री और प्रपौत्री का कोई अधिकार संबधित विधि मे नही था। वर्ष 2005 मे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम मे संशोधन के पश्चात सहदायिकी सम्पत्तियों मे पुत्री, पौत्री और प्रपोत्री को जन्म से अधिकार प्रदत्त किये गये है परन्तु प्रकरण मे उभयपक्षो के मध्य विभाजन होने के तथ्य पत्रावली पर प्रस्तुत है जो वर्ष 2005 के संशोधन अधिनियम से पूर्व हो चुके थे। ततसमय प्रचलित विधि मे मौखिक विभाजन को भी मान्यता प्रदत्त की गई थी जो पूर्ण रूप से विधिक थी और हस्तगत प्रकरण मे भी देवकिशन और मोहन लाल के बीच मौखिक विभाजन होकर उसकी याददाश्त का निष्पादन किया जाना पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आता है। अतः जिस समय यह विभाजन हुआ उस समय सहदायिक सम्पत्तियो मे पुत्री को जन्म से अधिकार न होने के कारण उक्त सम्पत्तियो मे वादी संख्या 2 और 3 का अधिकार घोषित नही किया जा सकता। वादी अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन मे जो न्यायिक दृष्टान्त Prasanta Kumar Sahoo v/s Charulata Sahu Civil Appeal No 2912-2915 of 2018 on 29 March 2023 प्रस्तुत किया है। वह पूर्ण रूप से माननीय उच्चतम

न्यायालय द्वारा पूर्व मे निर्धारित न्यायिक दृष्टान्त विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (सुप्रा) के आधार पर निर्धारित किये गये है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त मे विभाजन के दावे मे जो कमिक घटनाकम हुए है उसमे दौराने विधिक कार्यवाही वर्ष 2005 का संशोधन अधिनियम दिनांक 09.09.2005 से लागू हुआ था और विधिक कार्यवाहीयों मे विधि के संशोधन के फल स्वरूप संशोधन के प्रावधानो को भी माननीय न्यायिक दृष्टान्त मे लागू किया गया है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त मे न्यायिक दृष्टान्त विनिता शर्मा के विभिन्न दिशा निर्देशो का उल्लेख करते हुए न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया है कि

The Court observed in para 107 as under:

"107. Once the constitution of coparcenary changes by birth or death, shares have to be worked out at the time of actual partition. The shares will have to be determined in changed scenario. The severance of status cannot come in the way to give effect to statutory provision and change by subsequent event. The statutory fiction of partition is far short of actual partition, it does not bring about the disruption of the joint family or that of coparcenary is a settled proposition of law. For the reasons mentioned above, we are also of the opinion that mere severance of status by way of filing a suit does not bring about the partition and till the date of the final decree, change in law, and changes due to the subsequent event can be taken into consideration." (Emphasis supplied) (D) Prior to the Amendment Act, 2005, partition in joint Hindu Family could be made by oral partition or oral family settlement/family arrangement. If subsequently terms of such oral partition or oral family settlement/family arrangement could be recorded in a Memorandum. Such Memorandum was not required to be registered. [See: paragraphs 115, 116, 119, 120, 121, 125 and 130].

इसके पश्चात न्यायिक दृष्टान्त मे यह भी विवेचन दिया गया है कि

"135. A special definition of partition has been carved out in the Explanation. The intendment of the provisions is not to jeopardise the interest of the daughter and to take care of sham or frivolous transaction set up in defence unjustly to deprive the daughter of her right as coparcener and prevent nullifying the

benefit flowing from the provisions as substituted. The statutory provisions made in Section 6(5) change the entire complexion as to partition. However, under the law that prevailed earlier, an oral partition was recognised. In view of change of provisions of Section 6, the intendment of legislature is clear and sucha plea of oral partition is not to be readily accepted. The provisions of Section 6(5) are required to be interpreted to cast a heavy burden of proof upon proponent of oral partition before it is accepted such as separate occupation of portions, appropriation of the income, and consequent entry in the revenue records and invariably to be supported by other contemporaneous public documents admissible in evidence, may be accepted most reluctantly while exercising all safeguards. The intendment of Section 6 of the Act is only to accept the genuine partitions that might have taken place under the prevailing law, and are not set up as a false defence and only oral ipse dixit is to be rejected outrightly. The object of preventing, setting up of false or frivolous defence to set at naught the benefit emanating from amended provisions, has to be given full effect. Otherwise, it would become very easy to deprive the daughter of her rights as a coparcener. When such a defence is taken, the court has to be very extremely careful in accepting the same, and only if very cogent, impeccable, and contemporaneous documentary evidence in shape of public documents in support are available, such a plea may be entertained, not otherwise. We reiterate that the plea of an oral partition or memorandum of partition, unregistered one can be manufactured at any point in time, without any contemporaneous public document needs rejection at all costs. We say so for exceptionally good cases where partition is proved conclusively and we caution the courts that the finding is not to be based on the preponderance of probabilities in view of provisions of gender justice and the rigour of very heavy

burden of proof which meet intendment of Explanation to Section 6(5). It has to be remembered that the courts cannot defeat the object of the beneficial provisions made by the Amendment Act. The exception is carved out by us as earlier execution of a registered document for partition was not necessary, and the court was rarely approached for the sake of family prestige. It was approached as a last resort when parties were not able to settle their family dispute amicably. We take note of the fact that even before 1956, partition in other modes than envisaged under Section 6(5) had taken place." (Emphasis supplied). (Reference: Article titled 'Changing Dimensions of Hindu Coparcenary and Section 6, Hindu Succession Act, 1956 by Justice Satya Poot Mehrotra, Former Judge Allahabad High Court.)

76. The reference was ultimately answered in paras 137.1 to 137.5 resply as under

"137.1. The provisions contained in substituted Section 6 of the Hindu Succession Act, 1956 confer status of coparcener on the daughter born before or after the amendment in the same manner as son with same rights and liabilities.

137.2. The rights can be claimed by the daughter born earlier with effect from 9-9-2005 with savings as provided in Section 6(1) as to the disposition or alienation, partition or testamentary disposition which had taken place before the 20th day of December, 2004.

137.3. Since the right in coparcenary is by birth, it is not necessary that father coparcener should be living as on 9-9-2005.

137.4. The statutory fiction of partition created by the proviso to Section 6 of the Hindu Succession Act, 1956 as originally enacted did not bring about the actual partition or disruption of coparcenary. The fiction was only for the purpose of ascertaining share of deceased coparcener when he was survived by a female heir, of Class I as specified in the Schedule to the 1956 Act or male relative of such female. The provisions of the substituted Section 6 are required to be given full effect. Notwithstanding that a preliminary decree has been passed, the daughters are to be given share in coparcenary equal to that of a son in pending proceedings for final decree or in an appeal.

137.5. In view of the rigour of provisions of the Explanation to Section 6(5) of the 1956 Act, a plea of oral partition cannot be accepted as the statutory recognised mode of partition effected by a deed of partition duly registered under the provisions of the Registration Act. 1908 or effected by a decree of a court. However, in exceptional cases where plea of oral partition is supported by public documents and partition is finally evinced in the same manner as if it had been affected (sic effected) by a decree of a court, it may be accepted. A plea of partition based on oral evidence alone cannot be accepted and to be rejected outrightly."

19 प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो मे न्यायिक दृष्टान्त विनिता शर्मा मे दिये गये दिशा निर्देश को लागू करते हुए नवीन संशोधन को प्रकरण मे लागू किया जकर विभाजन की कार्यवाहीयॉ की गई है परन्तु हस्तगत प्रकरण मे इस प्रकार की कोई परिस्थितियां नही है क्योकि सर्व प्रथम तो विवादित सम्पत्तियां वादीगण और प्रतिवादीगण के पूर्वजो के स्वामित्व की नही है क्योकि सम्पत्तियों के स्वामित्व के सबंध मे कोई दस्तावेज उभयपक्षो द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है तथा उक्त सम्पत्तियो की घोषणा के संबंध मे भी उभयपक्षो द्वारा अनुतोष चाहे जाने की कोई कार्यवाही नही की गई। तत्समय प्रचलित विधि के अनुसार उक्त सम्पत्तियों के

सबंध मे उभयपक्षो के मध्य मौखिक विभाजन होना पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आता है और मौखिक विभाजन के अनुरूप ही पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज है यह भी पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है। यद्यपि वादी पक्ष द्वारा स्पष्ट रूप से विभाजन की कार्यवाही को स्वीकार नही किया है परन्तु अलग अलग निर्माण होने और अपने अपने हिस्से मे रहने के तथ्यो को वादी गवाहान द्वारा भी अप्रत्यक्ष रूप से अपने बयानो मे स्वीकार किया गया है। अतः यह तथ्य मौखिक बंटवारो के तथ्यो की पुष्टि करता है और हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम मे संशोधन से पूर्व ही उभयपक्षकारान के मध्य मौखिक विभाजन हो जाने से उसमे डालचन्द की पुत्रियों वादी संख्या 2 और 3 का कोई हक नही माना जा सकता। पुत्रियों के अधिकारो के संबंध मे वादी पक्ष द्वारा कृषि आराजियात मे पुत्रियों के समान अधिकार मिलने के तथ्य बताये है और इसके समर्थन मे कृषि आराजियात की जमाबन्दी की नकले प्रस्तुत की गई है जो कि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है। उभयपक्षो के मध्य जो विभाजन की लिखापढी हुई थी उसमे कृषि भूमियों का भी उल्लेख किया गया है परन्तु कृषि भूमियों का नामान्तकरण जिस मूल पुरूष के नाम था उस नामान्तकरण मे विभाजन के फलस्वरूप नाम परिवर्तित करवाये जाने की कार्यवाही उनके उत्तराधिरियसो की थी और यदि पक्षकारान द्वारा विभाजन की लिखापढी के बाद इस संबंध मे नामान्तकरण की कार्यवाही नही करवाई तो यह तथ्य हस्तगत प्रकरण मे वाद वर्णित सम्पत्तियों मे पुत्रियों के अधिकार को सृजित करने मे असमर्थ है। अतः कृषि आराजियात मे पुत्रियों का नाम जुड जाने के आधार पर हस्तगत प्रकरण मे वादी संख्या 2 और 3 को विवादित सम्पत्तियों मे विभाजन से सम्पत्ति प्राप्त करने की अधिकारिणी नही माना जा सकता।

20 इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर विवाद्यक संख्या 1 और 2 वादीगण अपने पक्ष मे साबित करनेमे असफल रहे हे तथा प्रतिवादीगण विवाद्यक संख्या 3 व 4 को अपने पक्ष मे साबित करने मे सफल रहे है।

21 विवाद्यक संख्या 6 मे प्रतिवादीगण को यह साबित करना था कि वादी संख्या 3 अत्यन्त वृद्व स्त्री है जो सुनने समझने की स्थिति मे नही है लेकिन वादी संख्या 1 ने मिलीभगत कर उनका झूँठा अगूँठा लगा कर दुर्भावना से झूँठा वाद पत्र पेश करवाया है। इस संबंध मे पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो वादी सुरेश

प्रतिवादी संख्या 3 रामी की वसीयत के आधार पर भी उत्तराधिकारी बना है चूँकि वसीयत विवाद की विषय वस्तु नही है। वसीयत की वैधानिकता व अवैधानिकता के संबंध मे किसी प्रकार की कोई टिप्पणी किया जाना भी न्यायालय हाजा से वांछनीय नही है और उक्त बिन्दु हस्तगत प्रकरण से बहुत अधिक सुसंगत भी नही है। वादी सुरेश के पक्ष मे निष्पादित वसीयत भी प्रकरण मे प्रदर्शित नही हुई है। अतः वसीयत के सबंध मे किसी प्रकार की कोई ठोस साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत न होने से विवाद्य क संख्या 6 को प्रतिवादीगण के पक्ष मे साबित नही माना जा सकता। इसी प्रकार विवाद्यक संख्या 7 के सबंध मे उभयपक्षो के मध्य मौखिक बटंवारा हो जाने के तथ्य प्रतिवादी पक्ष मे साबित माने गये है और उक्त मौखिक बंटवारा के संबंध मे तथा मौखिक बंटवारा के पश्चात दो लिखत प्रदर्श ए1 और प्रदर्श ए2 के विरूद्व वादी पक्ष द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही न किये जाने के फल स्वरूप वादीगण पूर्ण रूप से उक्त बंटवारे से पाबन्द माने जाते है। इस प्रकार विवाद्यक संख्या 7 प्रतिवादीगण अपने पक्ष मे साबित करने मे सफल रहे है।

22 इस प्रकार विवाद्यक संख्या 1 व 2वादीगण के विरूद्व तय किये जानते है। विवाद्यकसंख्या 3 व 4 प्रतिवादी पक्ष के पक्ष मे तय किये जाते है। विवाद्यकसंख्या 6 प्रतिवादीगण के विरूद्व तथा विवाद्यक संख्या 7 प्रतिवादीगण के पक्ष मे तय किये जाते है।

विवाद्यक संख्या 05

23 विवाद्यक संख्या 05 मे प्रतिवादी के पक्ष मे जारी पट्टे की कार्यवाही के आधार पर विचाराधीन वाद को पोषणीय न मानने का तथ्य प्रतिवादीगण को साबित करना था। इस संबंध मे की गई विधिक कार्यवाहीयों के दस्तावेजात पत्रावली पर प्रस्तुत किये है और पट्टे के सबंध मे प्रकरण को रिमाण्ड किया जाकर नये सिरे से पट्टा जारी किये जाने की कोई कार्यवाही नही हुई है। चूँकि हस्तगत मामला उभयपक्षो की दो विवादित सम्पत्तियों के सबंध मे प्रस्तुत हुआ है जबकि पट्टा सिर्फ एक सम्पत्ति से संबंधित बताया गया है। चूँकि पट्टे की कार्यवाही किया जाना भिन्न प्रक्रिया है जिकसे आधार पर इस वाद को विधिक रूप से बाधित नही माना जा सकता। अतः विचाराधीन वाद इस आधार पर पोषणीय न होने का तथ्य प्रतिवादीगण के पक्ष मे साबित नही माना जा सकता।

विवाद्यक संख्या 08 अनुतोष

24 चूँकि वादीगण विवाद्यक संख्या 1 व 2 अपने पक्ष मे साबित करने मे असफल रहे है। प्रतिवादीगण विवाद्यक संख्या 3 व 4 को अपने पक्ष मे साबित करने मे सफल रहे है। विवाद्यक संख्या 5 व 6 को प्रतिवादीगण अपने पक्ष मे साबित करने मे असफल रहे है तथा विवाद्यक संख्या 7 को प्रतिवादीगण अपने पक्ष मे साबित करने मे सफल रहे है। अतः वादीगण वाद पत्र के अग्रसरण मे वाद पत्र मे वर्णित सम्पत्तियों के संबंध मे न तो विभाजन का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है ना ही किसी प्रकार की कोई स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते है।

25 इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र बाबत विभाजन जायदाद व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य न होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। जिसके फल स्वरूप वादीगण का वाद पत्र विरूद्व प्रतिवादीगण अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

26 अतः वादी देवकिशन व अन्य की ओर से प्रस्तुत वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण लेहरी व अन्य बाबत वाद विभाजन जायदाद व स्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

(अनिता)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

26. निर्णय आज दिनांक 02.07.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनिता)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
गंगापुर जिला भीलवाड़ा